



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 256]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 3 मई 2018—वैशाख 13, शक 1940

उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 3 मई 2018

क्र. एफ-52-2-2016-अड्टीस-3.—मध्यप्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम, 1991 (क्रमांक 20 सन् 1991) की धारा 33ख की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, उक्त अधिनियम की धारा 33ख की उपधारा (2), (3), (4) तथा (5) के उपबंधों का प्रवर्तन एक वर्ष की कालावधि के लिए विस्तारित करने के संबंध में जारी की गयी इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 52-2-2016-अड्टीस-3, दिनांक 22 मार्च, 2018 जो मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 23 मार्च, 2018 को प्रकाशित हुई थी, को विखण्डित करती है।

No. F 52-2-2016-XXXVIII-3.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 33B of the Madhya Pradesh Bhoj (Open) University Adhiniyam, 1991 (No. 20 of 1991), the State Government, hereby, rescinds this department's Notification No. F 52-2-2016-XXXVIII-3, dated 22nd March, 2018 issued regarding extension of enforcement of the provisions of sub-section (2), (3), (4) and (5) of Section 33B of the said Adhiniyam for a period of one year, which was published in the Madhya Pradesh Gazette dated 23rd March, 2018.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. आर. नायडू, अपर मुख्य सचिव।